

भूज वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

साधुराम पुत्र तिलोत्तराम भारी वनाम 1. तिलोत्तराम पुत्र वीरवल भारी पुत्र
कुम्हार नि० न० काना आयु 70 वर्ष नि० न० काना आदि

दावा बाबत :- 88-186 R.A.S.

मुकदमा नम्बर :- 228/21

निर्णय दिनांक :- 16.12.21

वादी की ओर से वकील विनोद सिंगरीज की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील शोभेन्द्र सिंह की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

तोही मौजा न० 10 PTR के खारा सं० 53/4 के
खुंन० पा, के तिलान० 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 14/2, 15/2, खुंन० 42
के तिलान० 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 19/1, 19/2,
20, 21, 22/1, 22/2 की कुल 2.568 ई० वाद भूमि जो
प्रति सं० 1 के नाम राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 तिलोत्तराम
की वजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 ताप प्लेट 1/5-1/5 हिस्सा /
वहिस्सा कराव के खारया घोषित किए जाते हैं वृषि भूमि
बैठ रख है जो रख भुक्त होने पर वादी तथा प्रति सं० 1 ताप
वहिस्सा कराव के अनुसार राजस्व रिजॉर्ड में अंजुन अ
रिजॉर्ड सुकरा दिए जावे। (राजीनामा हो जी ही का
भाग पण जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़